आर.ई.ओ.–133

जोधपुर
विद्युत वितरण
निगम लि०

क्रमांक : जोडि/अ.अ./पीपी एण्ड एम/फा० सामान्य/प्रे० 3678 जोधपुर, दिनांक 24/12/07

आदेश

विषय :– कटे हुए कृषि कनेक्शन को पुनः चालू करने बाबत् ।

*****

कटे हुए कृषि कनेक्शन को पुनः चालू कराने के संबन्ध में समन्वय समिति की दिनांक 06.01.2007 को आयोजित 99वी बैठक में विषयवस्तु पर विस्तृत चर्चा कर लिए गये निर्णय की अनुपालना में आर.ई.ओ.–127 में संशोधन करते हुए यह आदेश दिये जाते है कि:–

1. कृषि कनेक्शन विच्छेद की तिथि एवं कृषि उपभोक्ताओं द्वारा पुनः कनेक्शन जुड़वाने हेतु आवेदन की तिथि के बीच की समयावधि दो साल तक की है तो उपभोक्ताओं से कृषि कनेक्शन नीति–2004 (संशोधित दिनांक 18.09.2004) के अन्तर्गत री–कनेक्शन चार्जेज लेकर कनेक्शन पुनः जोड़ दिया जाये तथा इस प्रकार के कनेक्शनों को जुडवाने से पूर्व ही नये स्थान पर नियमानुसार स्थानान्तरण एवं नामान्तरण करवाने की सुविधा दी जावे यानि पुराने स्थान पर ही पुनः कनेक्शन लेना अनिवार्य नही होगा ।
2. कृषि कनेक्शन कटने एवं कनेक्शन पुनः जुड़वाने के लिए दिये गये आवेदन की तिथि के बीच की समयावधि अगर दो साल से अधिक एवं 15 साल तक है, तो ऐसे कृषि कनेक्शन को भी पुनः जोड़ा जा सकेगा । री–कनेक्शन प्रक्रिया एवं चार्जेज कृषि कनेक्शन नीति–2004 (संशोधित दिनांक 18.09.2004) के अनुसार रहेगे तथा ऐसे कनेक्शनों को पुराने कटे हुए कनेक्शन के स्थान पर ही री–कनेक्शन किया जायेगा । दूसरे स्थान पर नियमानुसार स्थानान्तरण उसी हालात में किया जावेगा अगर नई कृषि भूमि पर आवेदक का कम से कम दो साल का मालिकाना हक हो ।

   री–कनेक्शन किये जाने के बाद ऐसे कृषि कनेक्शनों का स्थानान्तरण दो साल तक अन्य भूमि पर नही किया जावेगा ।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

{एम.एल.त्रिपाठी}
अधीक्षण अभियन्ता (पी.पी.एण्ड.एम)
जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।

प्रतिलिपी निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है:–

- शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- अध्यक्ष एंव प्रबन्ध निदेशक जयपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
- सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।
- वित्तीय सलाहकार एंवम लेख नियन्त्रक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- संभागीय मुख्य अभियन्ता (जो.जोन/बी.जोन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
- उपमुख्य अभियन्ता (एम.एम.एण्ड.सी) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- मुख्य लेखाधिकारी , जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।
- प्रावै.सहायक माननीय अध्यक्ष एंव प्रबन्धक निदेशक महोदय, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/परि. एवं संधा./सर्तकता/टी.डब्लू/वाणिज्य/एमएण्डपी/बीएफएल) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/बाड़मेर/बीकानेर/जैसलमेर/चुरू/ श्रीगंगानगर /हनुमानगढ
- [illegible]